राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत कुकरखेडा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत कुकरखेडा

निर्णय दिनांकः– 03.06.2015

1. श्री उदयराम पिता डुगाराम निवासी चुना का भटा तहसील भीम

बनाम

2. श्री देवाराम पिता वरदाराम निवासी चुना का भटा तहसील भीम
3. श्री भूराराम पिता दल्लाराम निवासी चुना का भटा तहसील भीम
4. श्री धन्ना राम पिता सुजाराम निवासी चुना का भटा तहसील भीम
5. श्री मोहनराम पिता सुजाराम निवासी निवासी चुना का भटा तहसील भीम
6. श्री केसुराम पिता सुजाराम निवासी चुना का भटा तहसील भीम
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रकरण संख्या :– 94/2012 रे.वा. **अन्तर्गत धारा:– 53 आर.टी.ए**

वादी व प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व में मौजा सदारण पटवार मंडल कुकरखेडा में खाता संख्या 131 नया एवं पुराना 143 में निम्न विवरण वाली आराजी स्थित है।

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वासी	
131	920	1	4	0	बारानी 2
	926	0	18	0	बारानी 1
	927	1	3	0	बारानी 1
	928	0	7	10	जाव 3 चाही 3
	934	0	7	10	जाव 3 चाही 3
	935	0	8	0	जाव 2 चाही 2
	936	0	7	0	जाव 2 चाही 2
	937	0	8	0	जाव 2 चाही 2
	945	0	9	0	जाव 1 चाही 1
	1331	0	9	0	बारानी 2
	1334	0	4	0	गै.मु.पाल
	1335	0	6	10	बारानी 2
	1336	0	8	0	बारानी 2
	1337	0	6	0	बारानी 2
	1352	0	8	10	बंजड
	1378	0	12	0	जाव 2
	1386	0	6	10	खडा बारानी 1
	1387	0	5	0	बारानी 1
	1400	0	4	10	जाव 2 चाही 2
	1401	0	4	10	जाव 2 चाही 2
	1402	0	7	0	जाव 2 चाही 2
	1405	0	5	10	जाव 2 चाही 2
	1412	0	8	0	जाव 3 चाही 3
	1414	0	12	10	जाव 2 चाही 2

कुल किता 24 रकबा 10 बीघा 19 विस्वा 10 विस्वांसी

उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी में वादी उदयराम का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 देवाराम का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 भुराराम का 1/4 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 3,4,5 का 3/12 हिस्सा अर्थात 1/4 हिस्सा होकर वादी और प्रतिवादीगण रिकार्डड खातेदार होकर उनके हिस्से पर काबिज होकर उपरोक्त कृषि भूमि का हिस्सेनुसार भाग का उपभोग उपयोग करते आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजियात रिकार्ड में बिना बंटी हुई चली आ रही है। प्रत्येक रिकार्डउ खातेदार अपनी सहूलियत के अनुसार अपने

Scanned by CamScanner

अपने हिस्से के मुताबिक काबिज होकर उसका उपभोग करते चले आ रहे है। मौके पर जमीन बराबर बंटी नहीं होने से किसी के पास कम व किसी के पास ज्यादा भूमि होने के कारण फसल बोते व काटते समय हमेशा लडाई झगडा होता रहता है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगणों से उक्त जमीन का बटवारा करने हेतु कहा मगर हमेशा प्रतिवादी टालमटोल करते आ रहें है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारो के बीच आज दिनाक 03.06.2015 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2015" कैम्प कुकरखेडा मे वादी श्री उदयराम की मृत्यु हो जाने से उनकी पत्नी श्रीमति नाथी देवी ने प्रार्थना पत्र पेश किया की उदयराम की मृत्यु के बाद उनके वारिसान नाथी देवी पत्नी उदयराम तथा पूनाराम, हीरालाल, प्रभुलाल, पिसरान, उदयराम उनके वारिस है। अतः वारिसान कायम मुकाम स्वीकृति दी जाती है। वादी के वारिसानो एव प्रतिवादीगणों मे आपसी समझाइश से आपसी राजीनामा हो चुका है। अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगणो की आपसी समझाइश कर मौजा कुकरखेडा मे उपरोक्त आराजियात में वादी उदयराम के वारिसान का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 देवाराम का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 भुराराम का 1/4 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 3,4,5 का 3/12 हिस्सा अर्थात 1/4 हिस्सा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगणों को मौके पर अपने अपने हिस्से पर जिस जगह आराजियात पर काबिज है उस अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदअनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी,
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner